तारीख हुक्म	(10) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.11.19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी अपने रकबा के जमाने से जहाँ पर काबिज है आज भी वहीं पर काबिज है बन्दोबस्त द्वारा प्रार्थीगणों का राजस्व नक्शे में अंकन अर्थात खसरा नम्बर का अंकन मौके से हटकर अन्यत्र दर्शा दिया है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर प्रारम्भ से ही है अतः प्रार्थी० के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 2029 को खारिज किया जाकर प्रार्थी के नाम मौका अनुसार ख०नं० 2037/0.01 व 2038/0.81 हेक्टर दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।
	बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन, मनन किया। हस्ब नकल ग्राम रजिस्टर सं० 2059-60 खाता नं० 181 पर ख०नं० 1363 (कबा ?) जगन्नाथ S/O नन्दा बौवा के नाम पर दर्ज है। हस्ब कार्य सिवाय साबिक ख०नं० 1363 से हाल खसरा नं० 2029 (कबा 0.29 हेक्टर पैदा किये गये है। हस्ब खसरा गिरदावरी 2067 व 2068 सेवत में उक्त हाल खसरा नम्बर 2029 पर काश्त किया जाना

14/11/19

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (11)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकट होता है। साबिक व हाल नक्शा का अवलोकन किया नक्शे में प्रथम दृष्टया विपरीत अंकन अर्थात प्रार्थी के हितों के विपरीत अंकन किया जाना प्रतीत नहीं होता है प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार द्वारा जवाब में प्रार्थना पत्र स्वीकृति से इन्कार किया जाकर राजहित प्रभावित होने के कथन किये हैं अर्थात प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार प्रार्थना पत्र पर सहमत नहीं है। प्रार्थी ख० नं. 2037 व 2038 को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है परन्तु उक्त खसरा नं. साबिक रकबे में से बने हैं या प्रार्थी बन्दोबस्त से दर्ज से ही इस भूमि पर काबिज है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। रिपोर्ट पटवारी आदि से जाहिर आता है, कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य का तथा प्रार्थी का राजकीय भूमि पर कब्जा है, तो इस बाबत प्रार्थी R.T. Act की सुसंगत धाराओं के तहत बेदखली की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त व अवलोकन पर सम्यक विवेचन [signature] 14/11/14	

तारीख हुक्म	(12) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया गया। राजस्व महकमा, या महकमा बन्दोबस्त द्वारा प्रार्थी के हितों के विपरीत ऐसी त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है, जिसे 136 L.R. Act 1956 के सुसंगत प्रावधान के तहत दुरूस्त किया जा सके।
	प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचनोपरान्त प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। वांछित अनुतोष हेतु R.T. Act के तहत विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थी समक्ष में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।
	निर्णय आज दि० 14.11.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।
	14/11/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.